रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08022021-225005
CG-DL-E-08022021-225005

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 2021/माघ 19, 1942
No. 66] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 2021/MAGHA 19, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 105(अ).—केन्द्र सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षानुसार, ऐसे सभी व्यक्तियों, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि शासकीय राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों के बाद उक्त प्रारूप नियमों पर विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों पर यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उन्हें अपर सचिव (विस्फोटक), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कमरा नं. ...., उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 107 को भेजा जा सकता है अथवा .... पर ई-मेल किया जा सकता है;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में निर्धारित समयावधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2021 होगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा।

3. उक्त नियम के, नियम 11 में, उप-नियम (4) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत:;

"(5) अमोनियम नाइट्रेट भंडारण और रखरखाव परिसर में पर्याप्त अग्निशमन सुविधा प्रदान की जाएगी।"

4. उक्त नियम के, नियम 12 में, उप-नियम (6) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत:;

"6(क) अमोनियम नाइट्रेट भंडारण और रखरखाव क्षेत्र के सारे फर्श, खुली नालियों, ट्रैप्स, गड्ढों या पॉकेट्स से रहित होंगे जिनमें कोई भी पिघला हुआ अमोनियम नाइट्रेट बह जाए और आग की स्थिति में परिरूद्ध हो जाए।"

5. उक्त नियम के, नियम 18 में, उप-नियम (3) में, "अनुज्ञप्त भण्डार गृह" शब्दों के पश्चात "जो बंदरगाह अधिसूचित क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है," को अंतःस्थापित किया जाएगा।

6. उक्त नियम के, नियम 51 में, उप-नियम (2) में, "तो वह ऐसे अमोनियम नाइट्रेट को" शब्दों के पश्चात "नीलामी करने की अनुमति या" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

7. उक्त नियम के, नियम 51 में, उप-नियम (2) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत:;

"2(क) अमोनियम नाइट्रेट का निपटान, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत निर्मित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और संचलन) नियम, 2008 के अनुसार किया जाएगा।"

[फा. सं. पी-13012/2/2021-विस्फोटक]

सुमिता डावरा, अपर सचिव

नोट: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 553 (अ), दिनांक 11 जुलाई, 2012 के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और बाद में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. ....(अ) दिनांक ....और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. ....(अ) दिनांक ....द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2021

G.S.R. 105(E).—The draft of the following rules further to amend the Ammonium Nitrate Rules, 2012 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), is hereby published as required by sub-section (I) of section 18 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Additional Secretary (Explosives), Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Room No……, Udyog Bhawan, New Delhi – 110 107 or sent by email (…………..) within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. **Short title and commencement**.—(1) these rules may be called the Ammonium Nitrate (Amendment) Rules 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ammonium Nitrate Rules, 2012 following may be amended.

3. In the said Rules in Rule 11 after the sub-rule (4) following shall be inserted namely;

   (5) Adequate firefighting facility shall be provided at ammonium nitrate storage and handling premises.

4. In the said Rules in Rule 12 after the sub-rule (6) following shall be inserted namely;

   6(a) All flooring in ammonium nitrate storage and handling area shall be without open drains, traps, pits or pockets into which any molten ammonium nitrate is able to flow and be confined in the event of fire.

5. In the said Rules in Rule 18 in the sub-rule (3) after the word "licensed storehouse" following shall be inserted namely; "situated beyond 500 meters from the port notified area".

6. In the said Rules in Rule 51 in the sub-rule (2) after the word "shall" following shall be inserted namely; "allow to auction or"

7. In the said Rules in Rule 51 after the sub-rule (2) following shall be inserted namely;

   2(a) Disposal of Ammonium Nitrate shall be in accordance to the Hazardous Wastes (Management, Handling and Trans Boundary Movement) Rules, 2008 enacted under Environment (Protection) Act, 1986.

[F. No. P-13012/2/2021-EXPLOSIVE]

SUMITA DAWRA, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification G.S.R. 553(E), dated the 11th July, 2012, subsequently amended *vide* G.S.R ……, dated the …….. and G.S.R……. dated the……..

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.02.08 21:31:43 +05'30'